न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 15 / 2025 **दायर दिनांकः 11.03.2025**

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार आयु 62 वर्ष पुत्र प्रभुचरण जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. प्रेम आयु 60 वर्ष पुत्री सलानियल जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट.

उपस्थिति :—
प्रार्थिया :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
अप्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर

निर्णय

दिनांक— 16.06.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त उनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूरी—पूरी आशा है। वाके ग्राम एवं माल पिपलोद पटवार हल्का अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में खाता संख्या 242 का ख.नं. 311 का रकबा 0.03 हे0, ख.नं. 312 / 930 का रकबा 0.95 हे0, ख.नं. 353 का रकबा 0.35 हे० कुल किता 3 का कुल रकबा 1.33 हेक्टर आराजी प्रार्थी एवं उसके भाई प्रमोदप्रफुल्ल के शामलाती दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है।

प्रार्थी का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :—

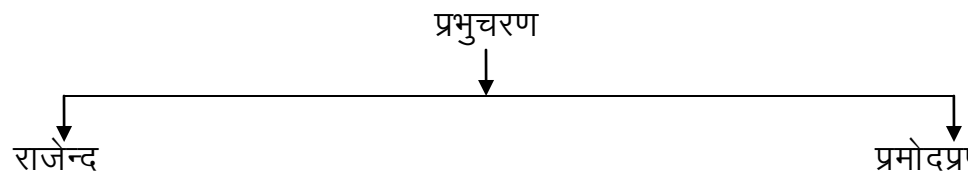

प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी को प्रार्थी एवं उसका भाई प्रमोदप्रफुल्ल काश्त करते चले आ रहे थे। प्रार्थी का भाई प्रमोदप्रफुल्ल अविवाहित था तथा उसके कोई औलाद नही है तथा प्रमोदप्रफुल्ल प्रार्थी के पास रहकर ही अपना जीवन यापन करता था। प्रार्थी के भाई प्रमोदप्रफुल्ल की मृत्यु दिनांक 02/01/2025 को ग्राम पिपलोद में हो चुकी है। जिसका दाह संस्कार क्रियाक्रम व मृत्यु उपरान्त की सभी क्रियाक्रम प्रार्थी द्वारा ही की गई है। प्रार्थी के भाई प्रमोदप्रफुल्ल की अवैर सवैर इलाज आदि सभी प्रार्थी ने ही किये है। प्रार्थी का भाई प्रमोदप्रफुल्ल अविवाहित फोत हो जाने से प्रमोदप्रफुल्ल का विधिक एवं जायज वारिस एकमात्र राजेन्द्र कुमार प्रार्थी ही है तथा प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी को प्रमोदप्रफुल्ल के जीवनकाल से प्रार्थी ही काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी प्रार्थी ही काबिज काश्त है। अप्रार्थिया क्रम 1 ने प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित प्रमोदप्रफुल्ल के दर्ज हिस्सा 1/2 की आराजी को कभी भी काबिज काश्त नही किया है। परन्तु अप्रार्थिया क्रम 1 अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके से प्रार्थी के भाई प्रमोदप्रफुल्ल की पत्नि बनकर प्रार्थी के भाई प्रमोदप्रफुल्ल के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 की आराजी पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपने नाम नामान्तकरण खुलवाने पर आमादा है। जिसका वैधानिक रूप से अप्रार्थिया क्रम 1 को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थिया क्रम 1 प्रमोदप्रफुल्ल की विवाहिता पत्नि नही है। न ही प्रमोदप्रफुल्ल की कोई सेवा सुश्रुवा की है। प्रमोदप्रफुल्ल अविवाहित ही था। जिसकी अविवाहित मृत्यु हो चुकी है। इसलिए प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित मृतक प्रमोदप्रफुल्ल के हिस्सा 1/2 की आराजी पर प्रार्थी खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकारी एवं नॉलिशी है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी में प्रमोदप्रफुल्ल के दर्ज हिस्सा 1/2 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित नही किया जा सकता। यदि प्रार्थी को प्रमोदप्रफुल्ल के दर्ज हिस्सा 1/2 की आराजी पर खातेदार कृषक घोषित नही किया गया तथा अप्रार्थिया क्रम 1 के नाम फर्जी दस्तावेज के आधार पर अवैधानिक रूप से नामान्तकरण खोल दिया तो प्रार्थी उक्त आराजी पर चले आ रहे हक अधिकारो से वंचित होना पड़ेगा। जिससे प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं है तथा प्रार्थी को अनेकानेक वाद विवादो में उलझना पड़ेगा। इस वजह से प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि ताफैसला मूलवाद अप्रार्थिया क्रम 1 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित खाता संख्या 242 की

आराजी में प्रमोदप्रफुल्ल के दर्ज हिस्सा 1/2 की आराजी पर अपना नामान्तकरण नही खुलवाये तथा उक्त आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द नही करें तथा अप्रार्थी क्रम 2 को पाबन्द किया जावे कि वह प्रमोदप्रफुल्ल के हिस्से की आराजी पर अप्रार्थिया क्रम 1 के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं करें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित होने की वजह से सुविधा का सन्तुलन एवं न्याय का सन्तुलन प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर०टी०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थिया क्रम 1 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित खाता संख्या 242 की आराजी में प्रमोदप्रफुल्ल के दर्ज हिस्सा 1/2 की आराजी पर अपना नामान्तकरण नही खुलवाये तथा उक्त आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द नही करें तथा अप्रार्थी क्रम 2 को पाबन्द किया जावे कि वह प्रमोदप्रफुल्ल के हिस्से की आराजी पर अप्रार्थिया क्रम 1 के नाम नामान्तकरण दर्ज नही करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वाद प्रस्तुत करना स्वीकार है, शेष विवरण जिस तरह से लिखा गया है अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 में वर्णित पारिवारिक सजरा गलत वर्णित किये जाने से अस्वीकार है, अपितु कथन है कि प्रमोदप्रफुल्ल उर्फ प्रमोद अविवाहित फौत नही हुआ था बल्कि वह विवाहित था जिसकी पत्नी प्रेम बाई है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 4 गलत लिखी होने से अस्वीकार है, अपितु कथन है कि प्रमोदप्रफुल्ल उर्फ प्रमोद विवाहित था जिसकी प्रेमबाई विधिवत पत्नी है, शादी के बाद से ही दोनों पति–पत्नी साथ–साथ ग्राम पिपलोद में अलग रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। प्रमोदप्रफुल्ल उर्फ प्रमोद ने अपने भाई राजेन्द्र के पास कभी निवास नही किया, प्रमोदप्रफुल्ल उर्फ़ प्रमोद की मृत्यु के बाद उसका सारा क्रियाक्रम उसकी पत्नी प्रेम बाई द्वारा किया गया था। प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी को हमेशा से ही प्रमोदप्रफुल्ल उर्फ प्रमोद कब्जा काश्त करता चला आ रहा था और उसकी मृत्यु के बाद प्रेम बाई वर्तमान में कब्ज़ा काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थी का प्रमोदप्रफुल्ल उर्फ प्रमोद की आराजी पर कभी भी कब्ज़ा काश्त नही रहा है। प्रार्थना पत्र की मद न. 6 जिस तरह से लिखी गई है, अस्वीकार है। अपितु कथन है कि न्याय एवं

सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र की मद न. 7 का जवाब बवक्त बहस मौखिक निवेदन किया जावेगा। प्रार्थना व अनुतोष प्रार्थी अस्वीकार है।

विशेष विवरण

प्रमोदप्रफुल्ल उर्फ़ प्रमोद विवाहित था जिसकी प्रेमबाई विधिवत पत्नी है, शादी के बाद से ही दोनों पति–पत्नी साथ–साथ ग्राम पिपलोद में अलग रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। प्रमोदप्रफुल्ल उर्फ प्रमोद ने अपने भाई राजेन्द्र के पास कभी निवास नही किया, प्रमोदप्रफुल्ल उर्फ़ प्रमोद की मृत्यु के बाद उसका सारा क्रियाक्रम उसकी पत्नी प्रेम बाई द्वारा किया गया था। प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी को हमेशा से ही प्रमोदप्रफुल्ल उर्फ प्रमोद कब्जा काश्त करता चला आ रहा था और उसकी मृत्यु के बाद प्रेम बाई वर्तमान में कब्ज़ा काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थी का प्रमोदप्रफुल्ल उर्फ प्रमोद की आराजी पर कभी भी कब्ज़ा काश्त नहीं रहा है। प्रेम बाई ने अपने पति प्रमोदप्रफुल्ल उर्फ प्रमोद की मृत्यु के बाद प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी में प्रमोदप्रफुल्ल उर्फ़ प्रमोद के हिस्से पर अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार के पास प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा जांच करके रिपोर्ट श्रीमान तहसीलदार साहब के समक्ष पेश की गई। जिसमे भी प्रमोदप्रफुल्ल उर्फ़ प्रमोद की पत्नी प्रेम बाई को बताया गया है। प्रेम बाई के अलावा कोई और वारिसान व पत्नी नही होना बताया गया है। माननीय न्यायालय के स्थगन के कारण प्रेम बाई का नाम्मान्तरण दर्ज नही हो सका अन्यथा स्थगन नहीं होता तो अभी तक प्रेम बाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड नक़ल जमाबन्दी में प्रमोदप्रफुल्ल उर्फ प्रमोद के स्थान पर हिस्सा 1/2 पर दर्ज हो गया होता। नक़ल श्रीमान तहसीलदार जांच रिपोर्ट व सरपंच ग्राम पंचायत अर्डान्द का वारिसान प्रमाण पत्र व जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक डायरी, राशन कार्ड व जॉब कार्ड इत्यादि जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है, इसलिए प्रार्थी पर 50,000/– रुपये जुर्माना लगाया जावे व उक्त राशि अप्रार्थी क्रम 1 प्रेम बाई को दिलवाई जावे ।

अतः अप्रार्थी क्रम 1 माननीय न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र झूठे व मनगढंत तथ्यों पर आधारित होने से मय हर्ज खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषकगण की बहस सूनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया तथा

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

अभिभाषकगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

अस्थाई व्यादेश में तीन शर्तों पर ध्यान देना आवश्यक है–

- प्रथम दृष्टया मामला
- सुविधा का संतुलन
- अपूरणीय क्षति

- **<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>**:– पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी ग्राम व माल पिपलोद पटवार हल्का अर्डान्द सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 242 के अनुसार ख0नं0 311 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 312/930 रकबा 0.95 है0 व ख0नं0 353 रकबा 0.35 है0 कुल किता 3 का रकबा 1.33 है0 आराजी प्रमोदप्रफुल्ल पुत्र प्रभूचरण हिस्सा 1/2 जाति ईसाई व राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रभूचरण हिस्सा 1/2 जाति ईसाई सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र (उपसरपंच) के अनुसार प्रमोदप्रफुल्ल की मृत्यु अविवाहित हुई है लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र प्रोमद के अनुसार प्रमोद की पत्नी का नाम प्रेम है। अभिभाषक अप्रार्थी कम 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश दस्तावेजों प्रशासक ग्राम पंचायत अर्डान्द के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रेम प्रमोदप्रफुल्ल के साथ 28–30 वर्षों से रह रही है तथा पत्नी धर्म निभाया है। जॉब कार्ड प्रमोद में भी पत्नी के रूप में प्रेम अंकित किया हुआ है। भारत गैस डायरी ग्राम जलवाडा में भी प्रेम बाई पत्नी प्रमोद अंकित है। परिवार राशन कार्ड (010282400269) में प्रेम प्रमोद की पत्नी दर्शाई गई है। मतदाता पहचान पत्र (SEZ1976141) व जन आधार कार्ड (4682754446) में प्रेम बाई के पति का नाम प्रमोद अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रेम बाई मृतक प्रमोदप्रफुल्ल की पत्नी साबित है तथा प्रमोदप्रफुल्ल की वैध वारिस साबित है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज/तथ्यों के आधार पर प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।
- **<u>सुविधा का संतुलन</u>**:– जमाबन्दी ग्राम व माल पिपलोद पटवार हल्का अर्डान्द सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 242 के अनुसार ख0नं0 311 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 312/930 रकबा 0.95 है0

व ख0नं0 353 रकबा 0.35 है0 कुल किता 3 का रकबा 1.33 है0 आराजी प्रमोदप्रफुल्ल पुत्र प्रभूचरण हिस्सा 1/2 जाति ईसाई व राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रभूचरण हिस्सा 1/2 जाति ईसाई सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश दस्तावेजों प्रशासक ग्राम पंचायत अर्डान्द के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रेम प्रमोदप्रफुल्ल के साथ 28–30 वर्षों से रह रही है तथा पत्नी धर्म निभाया है। जॉब कार्ड प्रमोद में भी पत्नी के रूप में प्रेम अंकित किया हुआ है। भारत गैस डायरी ग्राम जलवाडा में भी प्रेम बाई पत्नी प्रमोद अंकित है। परिवार राशन कार्ड (010282400269) में प्रेम प्रमोद की पत्नी दर्शाई गई है। मतदाता पहचान पत्र (SEZ1976141) व जन आधार कार्ड (4682754446) में प्रेम बाई के पति का नाम प्रमोद अंकित है। अतः प्रेम बाई मृतक प्रमोदप्रफुल्ल की पत्नी साबित है तथा प्रमोदप्रफुल्ल की वैध वारिस साबित होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही है।

- **<u>अपूरणीय क्षतिः–</u>** उपरोक्त दोनो बिन्दुओं (प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन) को प्रार्थी साबित करने में असफल रहा है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु उपरोक्त दोनो बिन्दुओं (प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन) पर निर्भर है, क्योंकि उपरोक्त दोनो बिन्दुओं को प्रार्थी स्वयं के पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम पिपलोद की आराजी खाता संख्या 242 कुल किता 3 का रकबा 1.33 है0 आराजी के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

<u>::–क्रियात्मक आदेश::–</u>

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां